न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक

(रजनी मीणा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :– 27 / 2020
निर्णय दिनांकः– 05.03..2021

1. रामराज पुत्र छोटूलाल जाति धाकड निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक
2. प्रहलाद पुत्र छोटूलाल जाति धाकड निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक

– प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाशी पुत्री लड्डूलाल जाति खटीक निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक
2. बुद्विप्रकाश पुत्र लड्डूलाल जाति खटीक निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक
3. बनवारी पुत्र लड्डू लाल जाति खटीक निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक
4. भंवरी पत्नी लड्डू लाल जाति खटीक निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक
5. गोपाल पुत्र घीसा जाति बैरवा निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक
6. नारायण पुत्र गणेश जाति बैरवा निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक
7. प्रहलाद पुत्र गणेश जाति बैरवा निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक
8. मथरा पुत्री गणेश जाति बैरवा निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक
9. मेवा पुत्र घीसा जाति बैरवा निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक
10. हजारी पुत्र गणेश जाति बैरवा निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक
11. तहसीलदार उनियारा जिला टोक

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– श्री कन्हैयालाल ठाडा वकील प्रार्थी
श्री अप्रार्थीगण न0 7, 9 10

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रा र्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 237 रकबा 2.19 है0 वाके ग्राम सहीदाबाद तहसील उनियारा मे स्थित है। वादग्रस्त आराजीया मौके पर मोखित विभाजन हो चुका हैं तथा आराजी ख0न0 237 प्रार्थीगण के हिस्से मे आई हैं, जिस पर प्रार्थीगण निर्विवाद रूप काबिज काश्त है। प्रार्थीगण अपने खातेदारी की आराजी पर ख0न0 223 व 236 के दक्षिणी दिशा मे मेर पर होकर हैं, तथा इसी रास्ते से होकर अपने कृषि उपकरण, ट्रैक्टर ट्रोली हल बैल कुली इत्यादि लाते ले जाते रहे है तथा यही रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है, जिससे आने जाने का प्रार्थीगण को सुखाधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि वादग्रस्त आराजी पर आने जाने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता भी नही है। जो कि प्रतिपक्षीगण ने पर चारो ओर चीरे गाडकर तारकशी कर प्रार्थीगण के रास्ते को बंद कर दिया है। जिससें अपनें खातेदारी की भूमि में आने–जाने में अवरोध उत्पन्न हो गया है, जिसका उसे कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि उक्त रास्ता बन्द कर दिया गया तो प्रार्थी अपने जायज हक व अधिकारो से वंचित हो जायेगा। प्रार्थीगण नियमानुसार डीएलसी रेट के अनुसार जमा करवाने को तैयार है।

यह कि प्रार्थीगण की अधियाचना है कि प्रार्थी को अपने खातेदारी की भूमि 237 रकबा 2.19 है0 वाके ग्राम सहीदाबाद तहसील उनियारा पर आने जाने हेतु पुर्व की भांति आराजी ख0न0 223 व ख0न0 236 की की मेड से होकर 12 फीट चौडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करते हुए प्रार्थीगण को नियमानुसार डीएलसी रेट की राशि जमा करवाने का आदेश फरमाया जावे।

S:Re.251a.145

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजि0 कर प्रतिपक्षीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षीगण न0 7, 9 व 10 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि उक्त रास्ता देने मे कोई आपत्ति नही है। एवं शेष प्रतिपक्षीगण 1ता 6, 8 बाद सूचना के अनुपस्थित। इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार उनियारा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक मौका रिपोर्ट मौके पर आराजी ख0न 237 वाके ग्राम सहीदाबाद तहसील उनियारा पर आने जाने हेतु राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नही हैं। पुर्व में प्रार्थीगण अपनी खातेदारी पर ख0न0 223 व 236 की मध्य की मेड पर निकलकर अपने खेतों पर पहुचता था। जिसकों वर्तमान में खातेदारों के द्वारा रास्ता बंद कर दिया गया है।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो का दौरान कथन किया की प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जें काश्त की आराजी ख0न0 237 वाके ग्राम सहीदाबाद तहसील उनियारा पर आने जाने हेतु पुर्व की भांति आराजी ख0न0 223 व 236 के दक्षिणी दिशा मे मेर पर होकर 12 फीट फीट चौडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करते प्रार्थीगण डीएलसी रेट के अनुसार राशि का भुगतान करने को तैयार है। प्रतिपक्षीगण न0 7, 9 व 10 को उक्त रास्ता देने मे कोई आपत्ति नही है।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस पर गौर किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी संवत् 2071–2074 वाके सहीदाबाद खाता संख्या 47 ख0न0 237 रकबा 2.19 है0 प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण सयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी पर आने–जाने के लिए वर्तमान में कोई रास्ता दर्ज नही है। तहसीलदार उनियारा के रिपोर्ट अनुसार उनियारा पुर्व में प्रार्थीगण अपनी खातेदारी पर ख0न0 223 व 236 की मध्य की मेड पर निकलकर अपने खेतों पर पहुचता था। जिसकों वर्तमान में खातेदारों के द्वारा रास्ता बंद कर दिया गया है। उक्त आराजी मे जाने के लिए ख0नप0 223 व 236 की दक्षिणी मेड के सहारे–सहारे खत0न0 237 तक दिया जा सकता है। यह रास्ता सबसे छोटा रास्ता है। जो उपयुक्त है। वर्तमान मे रास्ता बंद होने से प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को खातेदारी भूमि ख0न0 237 में आने–जाने के लिए ख0न0 496/320 से होते हुए ख0न0 223 व 236 की दक्षिणी की मेड के सहारे–सहारे खत0न0 237 तक 4 मीटर चोडा रास्ता दिया जाकर तहसीलदार उनियारा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त रास्ते कि लम्बाई, चौडाई नाप कर राजस्थान स्टाम्प नियम के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित भूमि कीमत की दौ गुनी राशि अप्रार्थीगण को दिया जावे। उक्त आदेशानुसार रास्ते का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जाये। रास्ता सिर्फ प्रार्थीगण के लिये उपयोग हेतु नही होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 05.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री रजनी मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

S.R. 25 Ta.146